[illegible]

[illegible] / [illegible] में पेश हुई। [illegible] अधिकारी [illegible] के [illegible] हेतु [illegible] दिनांक [illegible] को [illegible] में पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
सीकर

[illegible] पेश हुई / वकील वादी / [illegible] हाजिर। पीठासीन अधिकारी [illegible] / अन्य कार्य में व्यस्त है। [illegible] पूर्व आदेशानुसार दिनांक [illegible] को पेश हो।

5/11 प्रार्थी पेश हुए वकील वादी हाजिर। अन्य प्रतिवादीगण का सम्मन तामील नहीं हुआ। 15 दिवस के आवश्यक श्रम से पेश करें। प्र०-क्रमांक 18.1.16 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी सीकर

18/1/16 [illegible] पेश हुई / वकील वादी / [illegible] हाजिर पीठासीन अधिकारी [illegible] / अन्य कार्य में व्यस्त है। [illegible] पूर्व आदेशानुसार दिनांक 26.2.16 को पेश हो।

26/2/16 [illegible] पेश हुई / वकील वादी / [illegible] हाजिर पीठासीन अधिकारी [illegible] / अन्य कार्य में व्यस्त है। [illegible] पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10.5.16 को पेश हो।

12/3/16 प्रार्थी जिला कलक्टर आदेश पर आज पेश हुई। पक्षकारान के मध्य लोक अदालत में आपस में सहमति नहीं होने के कारण आपस में वाद चलाना उचित है। अतः वाद वादी लोक अदालत को आपस में पक्षकारान के मध्य समझौता नहीं होने के कारण वादी के अनुरोध पर वाद खारिज किया जाता है। प्रार्थी फैसल शुल्क वापस लेकर नकल ले लें। अग्रिम खर्चा दो।

उपखण्ड अधिकारी सीकर

तारा चन्द